रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2014/फाल्गुन 5, 1935
No. 47] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2014/PHALGUNA 5, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

विषय :—मिस्र के मूल के या वहां से निर्यातित ''एक्रेलिक फाइबर'' के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

सं. 14/18/2013—डीजीएडी :— यतः मै0 इंडियन एक्रेलिक्स लि0, चंडीगढ़ और मै0 पषुपति एक्रीलोन लि0, दिल्ली ने मिस्र (जिसे आगे संबद्ध देष भी कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित ''एकेलिक फाइबर'' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच ष्षुरू करने के लिए समय–समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंषोधित सीमाषुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी ष्षुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है), के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है । मै0 इंडियन एक्रेलिक्स लि0, चंडीगढ़ और मै0 पषुपति एक्रीलोन लि0, दिल्ली ने संबद्ध देष के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन के बारे में संगत सूचना प्रदान की है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच की षुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए यह पाया है कि संबद्ध देष के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं; अतः प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधीष्षुल्क की ऐसी राषि की सिफारिष करने जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में एतद्द्वारा जांच षुरू करते हैं ।

घरेलू उद्योग एवं उसका आधार

3. यह याचिका मै0 इंडियन एक्रेलिक्स लि0, चंडीगढ़ और मै0 पषुपति एक्रीलोन लि0, दिल्ली द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने संबद्ध देष से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देष में उत्पाद के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं । भारत में विचाराधीन उत्पाद के दो और उत्पादक अर्थात

मै0 वर्धमान एक्रीलिक्स लि0 और कंसोलिडेटेड फाइबर्स एंड कैमिकल्स लि0 हैं । मै0 वर्धमान एक्रीलिक्स लि0 ने याचिका का समर्थन किया है । तथापि, मै0 कंसोलिडेटेड फाइबर्स एंड कैमिकल्स लि0 वर्ष 2008 में समापन के अंतर्गत आ गई थी और इसलिए इस समय वह प्रचालन नहीं कर रही है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन जांच अवधि में कुल भारतीय उत्पादन का 73 प्रतिषत है । इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं और समर्थक का मिलकर उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिषत बनता है । अतः याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के भीतर आधार की पुष्टि करते हैं और वे घरेलू उद्योग हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का एक्रीलिक फाइबर है चाहे वह भूरा या रंजित हो (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) । एक्रीलिक फाइबर एक्रीलिक स्टेपल फाइबर, एक्रीलिक टो अथवा एक्रीलिक टॉप हो सकता है । एक्रीलिक स्टेपल फाइबर, एक्रीलिक टो और एक्रीलिक टॉप को वाणिज्यिक भाषा में एक्रीलिक फाइबर के नाम से जाना जाता है । एक्रीलिक स्टेपल फाइबर और एक्रीलिक टो के बीच एकमात्र अंतर लंबाई में अंतर का होता है । यदि लंबाई 2 मी0 से अधिक है तो इसे टो कहा जाता है और यदि इसे लंबाई में काटा गया है तो इसे स्टेपल फाइबर के रूप में जाना जाता है । एक्रीलिक फाइबर सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें एक्रीलोनाइट्राइल यूनिटों (उत्पादन हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री) का भार कम से कम 90 प्रतिषत होता है । एक्रीलिक फाइबर का प्रयोग दैनिक मानव जीवन में किया जाता है । एक्रीलिक फाइबर के परिधान, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग किए जाते हैं ।

5. एक्रीलिक फाइबर सीमाषुल्क टैरिफ के अध्याय 55 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, सीमाषुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु

6. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देष से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देष से आयातित एक्रीलिक फाइबर भौतिक एवं रासायनिक विषेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विर्निदेषन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी उत्पाद की अनिवार्य विषेषताओं के रूप में तुलनीय है । उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल–बदल कर उपयोग किया है । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देष से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में षामिल देष मिस्र है ।

सामान्य मूल्य

8. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध देष के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत के किसी साक्ष्य के अभाव में उन्होंने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए परिकलित लागत पद्धति को अपनाया है । सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, घरेलू उद्योग की परिवर्तन एवं अन्य लागत तथा उचित लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है ।

निर्यात कीमत

9. याचिकाकर्ता ने नियात कीमत का दावा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया है । निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और हैंडलिंग प्रभारों के लिए कीमत समायोजनों की अनुमति दी गई है । संबद्ध देष में संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है ।

पाटन मार्जिन

10. याचिकाकर्ताओं ने इस आषय का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि संबद्ध देष में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देष के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत में पाटन किया जा रहा है ।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ताओं की सूचना पर विचार किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में हुई अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मात्रा, मालसूची, बाजार हिस्से, लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और घरेलू उद्योग के लिए नकद प्रवाह के रूप में आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है । पाटनरोधी जांच की षुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देष से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पर्याप्त साक्ष्य है ।

जांच अवधि

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2012 से सितंबर 2013 (18 माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच के प्रयोजनार्थ अवधि में पूर्ववर्ती 3 वर्षों अर्थात अप्रैल 2009 – मार्च 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012 की अवधि और जांच अवधि के आंकड़े षामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देषों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित पते पर लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107

समय–सीमा

14. इस जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना की तारीख से 40 दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) के बारे में सूचित करें और प्रष्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा इस जांच की षुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर पाटनरोधी उपाय लागू करने की जरूरत के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. यदि प्रष्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग–अलग सैटों (क) गोपनीय रूप मे अंकितं (षीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (षीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए ।

17. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

18. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु; सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आषय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांष क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांषीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांष पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांष संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आषय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांष क्यों संभव नहीं है।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांष रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

21. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने

के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विषिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवष्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिषें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

Department of Commerce

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2014

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of 'Acrylic Fibre' originating in or exported from Egypt

No. 14/18/2013 DGAD.— M/s Indian Acrylics Ltd., Chandigarh and M/s Pasupati Acrylon Ltd., Delhi have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning imports of 'Acrylic Fibre' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from Egypt (hereinafter also referred to as the subject country). M/s Indian Acrylics Ltd., Chandigarh and M/s Pasupati Acrylon Ltd., Delhi have provided relevant information on alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.

2. And Whereas, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates anti dumping investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Petition has been filed by M/s Indian Acrylics Ltd., Chandigarh and M/s Pasupati Acrylon Ltd., Delhi. The petitioners have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject country in the POI nor they are related to any exporter or importer of the product in subject country. There were two more producers of the product under consideration in India namely M/s. Vardhman Acrylics Limited and Consolidated Fibres & Chemicals Limited. M/s. Vardhman Acrylics Limited has supported the petition. However, M/s. Consolidated Fibres & Chemicals Limited underwent liquidation in 2008 and, therefore, is not in operation at present. As per information available on record, production of the petitioner companies is 73% of the total Indian production in the POI. Further production of the petitioners and the supporter together account for 100% of the total Indian production. Petitioners therefore, satisfies the standing and constitute Domestic Industry within Rule 2(b) and Rule 5(3) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration is Acrylic Fibre of all types, whether grey or dyed (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Fibre can be acrylic staple fibre, acrylic tow or acrylic top. Acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as Acrylic Fibre in the commercial parlance. The only difference between acrylic staple fibre and acrylic tow is the difference in length. In case length is more than 2 Meters, it is known as tow and in case of cut lengths, it

is known as staple fibre. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). Acrylic Fibre has application in day-to-day human life. Acrylic Fibre has a variety of applications in apparel, household and industrial areas.

5. Acrylic Fibre is classified under Chapter 55 of the Customs Tariff. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation.

Like Article

6. Petitioners have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Acrylic Fibre produced by the domestic industry and imported from subject country is comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers have used the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable. Therefore for the purpose of present investigation the subject goods produced by the applicant in India are being treated as like article to the subject goods being imported from subject country.

Subject Country

7. The country involved in the present investigation is Egypt.

Normal Value

8. The petitioners have claimed that in the absence of any evidence of price of subject goods in the domestic market of subject country, they have adopted constructed cost method for calculation of normal value based on the estimates of cost of production in India, duly adjusted. International price of raw materials, conversion & other cost of the domestic industry and reasonable profit margin have been considered to determine normal value.

Export Price

9. The petitioners have claimed export prices on the basis of data obtained from DGCI&S. Price adjustments have been allowed on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses and handling charges to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export price of subject goods in the subject country.

Dumping Margin

10. The petitioners have provided sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the net export price, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country is being dumped into India to justify initiation of anti-dumping investigation.

Injury and Causal Link

11. Information of petitioners has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Petitioners have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, significant price undercutting, price underselling, price depression and consequent significant adverse impact in terms of production, capacity utilization, domestic sales volumes, inventories, market share, profits, return on capital employed, and cash flow for the domestic industry. There is sufficient evidence of the injury suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Period of Investigation (POI)

12**.** The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is April 2012-September 2013 (18 months). However, for the purpose of injury investigation, the period will cover the data of previous three years, i.e. April 2009-March 2010, April 2010-March 11, April 2011-March 2012 and the POI.

Submission of information

13. The known exporters in the subject country and their Governments through their Embassies, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240 , Udyog Bhawan,
New Delhi -110107

Time limit

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.